बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्रांक- एम-4-04/2017-15698/वि०(2) पटना, दिनांक- 06.11.12

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधन सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः- सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में।

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्र सं०- 6460 दिनांक- 18.06.2012 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-6460 दिनांक-18.06.2012 द्वारा सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि ''यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ी नियमानुसार बिहार वित्त संशोधन (नियमावली) 2005 की निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए निगम के द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत की जाय।''

उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद कतिपय विभागों से यह प्रस्ताव प्राप्त होता रहा है कि प्राइवेट एजेंसी से निविदा पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० की दर को तुलना में कम दर पर वाहन उपलब्ध हो रहा है एवं प्राइवेट एजेंसी के न्यूनतम दर पर सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की सहमति प्रदान की जाय।

सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''यदि निविदा के माध्यम से प्रशासी विभाग को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा प्राप्त करायी जा रही दर से कम दर पर वाहन प्राइवेट एजेंसी से उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।''

यह निर्णय सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के सभी मामलों में प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन
(उदय सिंह कुमावत)
सचिव (व्यय)